न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 17/2021

अपीलांटः–

1. जेताराम पुत्र कानारामजी कलबी के वारिस एवं कायम मुकाम फुलीदेवी पत्नी जेतारामजी, मोहन पुत्र जेताराम, रमेश पुत्र जेतारामजी कलबी आयु सभी वयस्क निवासी भावरी, तहसील पिण्डवाडा, जिला सिरोही, राजस्थान।
2. खेताराम पुत्र कानारामजी कलबी आयु वयस्क निवासी भावरा, तहसील पिण्डवाडा।
3. कसाराम पुत्र कानारामजी कलबी के वारिश दिनेश पुत्र कसाराम निवासी भावरी।
4. भावाराम पुत्र कानारामजी कलबी आयु वयस्क निवासी भावरी, तह. पिण्डवाडी।
5. जगा पुत्र केराराम जाति कलबी अब वयस्क निवासी भावरी तहसील पिण्डवाडा।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार पिण्डवाडा, जिला सिरोही।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री नगेन्द्र मेड़तिया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
2. राजपैरोकार रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 05/01/2022

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर पिण्डवाड़ा द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 183/2017 बउनवान सरकार बनाम जेताराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 21.11.2017 को अपास्त कराने का निवेदन किया। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विरूद्ध अपीलाट्स अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांटगण द्वारा सरहद मौजा भावरी, तहसील पिण्डवाड़ा के खसरा संख्या 1374 रकबा 0.15 बीघा कृषि भूमि पर गैर कृषि उपयोग करने के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

संबध में प्रस्तुत किया। साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। साथ ही वकील अपीलांट द्वारा निवेदन किया गया कि पटवारी रिपोर्ट के अनुसार अपीलांटगण द्वारा बिना भूमि का संपरिवर्तन करवाए आराजी पर आवासीय मकानों व दुकानों का निर्माण कार्य कर कृषि भूमि को क्षति कारित की है, किसी भी प्रकार का कृषि कार्य नही हो रहा है। रेस्पोडेन्ट के उक्त प्रार्थना पत्र पर अपीलांटगण को नोटिस जारी किया जाना बताया गया लेकिन अपीलांटगण को कोई नोटिस किया जाना बताया गया लेकिन अपीलांटगण को कोई नोटिस प्राप्त नही हुआ तथा न ही उक्त प्रकरण न्यायालय में संस्थित होने बाबत् कोई सूचना अपीलांटगण को हुई। अपीलांटगण की पिठ पिछे उक्त प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही कर उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो सर्वथा व विधि विरूद्ध है। साथ ही धारा 177 राज. काश. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई नोटिस अपीलांटगण को प्राप्त नहीं हुए है। अपीलांट संख्या 05 नाबालिग होने से उसके विरूद्ध कानुनन एक तरफा कार्यवाही नही हो सकती है। नाबालिग के कुदरती वली को नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उपस्थिति नहीं होने से आदेश 32 सीपीसी के प्रावधान के अनुसार न्यायालय द्वारा न्यायमित्र की नियुक्ति की जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी सीपीसी के प्रावधानों का खुला उल्लंघन करते हुए एकतरफा जैर अपील आदेश पारित किया गया है जो कि विधि विरूद्ध है।

साथ ही वकील अपीलांट द्वारा यह निवदेन किया गया कि दुकानें व आवासीय मकान खसरा संख्या 1363/1 रकबा 0.15 बीघा में बनी हुई है, राजस्व रेकर्ड नक्शें को देखने मात्र से स्पष्ट है कि रास्ते पर दुकाने व आवासीय मकान बने हुए है। रास्ते से दो खसरा छोड़कर खसरा संख्या 1347 की कृषि भूमि आई हुई है, फिर भी खसरा संख्या 1363/1 में किए गए निर्माण को खसरा संख्या 1347 मे बताते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है।

उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विरूद्ध अपीलाट्स अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांटगण द्वारा सरहद मौजा भावरी, तहसील पिण्डवाड़ा के खसरा संख्या 1374 रकबा 0.15 बीघा कृषि भूमि पर गैर कृषि उपयोग करने के संबध में प्रस्तुत किया। साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। अपीलांटगण द्वारा वादग्रस्त कृषि आराजी पर बिना बिना रूपातंरण करवाये गैर कृषि कार्य में उपयोग कर रहे है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 177 का मूल प्रार्थना पत्र में पूर्णतया विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है, न होने की स्थिति में वाद बाहुल्यता बढेगी। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त परिस्थितियो को

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

ध्यान में रखते हुए जेर अपील आदेश पारित किया है। जो विधिसम्मत हैं अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विरूद्ध अपीलाट्स अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांटगण द्वारा सरहद मौजा भावरी, तहसील पिण्डवाड़ा के खसरा संख्या 1374 रकबा 0.15 बीघा कृषि भूमि पर गैर कृषि उपयोग करने के संबंध में प्रस्तुत किया। साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है।

साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई तथ्य अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि वादग्रस्त आराजी पर अकृषि कार्य हो रहा है। इसके अतिरिक्त धारा 178 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार भी "धारा 177 के तहत पारित डिक्री या आदेश में यह निदेश होगा कि यदि अभिधारी डिक्री या आदेश की पालना की तारीख से तीन माह के या ऐसे और समय के भीतर जो न्यायालय अभिलिखित किऐ जाने वाले प्रकरणो का अभिलिखित करे, नुकसान पूर्ति कर देवे अथवा ऐसे मुआवजे का, जो न्यायालय उचित समझे, संदाय कर दे तो ऐसी डिक्री या आदेश का निष्पादन सिवाय उसके जिसका संबध खर्चो से है, नही किया जाएगा।" हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश के अन्तर्गत ऐसा कोई निदेश नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त हाजा न्यायालय के समक्ष वकील अपीलांट ने फार्म नंबर 3 के साथ वादग्रस्त आराजी के फोटोग्राफ प्रस्तुत किये, जिससे यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी किसी प्रकार का कोई अकृषि कार्य हेतु उपयोग में नही ली जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 178 के प्रावधानो को ध्यान में न रखते हुए आनन–फानन में जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है। साथ ही अपीलांट द्वारा जमांबदी संवत् 2069 से 2072 की पेश की जिससे उक्त भूमि 177 की कार्यवाही से पूर्व अपीलांट गण की निजी खातेदारी की भूमि थी। उक्त जमाबंदी इस अपीलीय निर्णय का अभिन्न अंग रहेगी।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर पिण्डवाड़ा द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 183/2017 बउनवान सरकार बनाम जेताराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 21.11.2017 को अपास्त किया जाता है। एवं अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि अगर अपीलांट ने वाग्रस्त आराजी के संबंध में अकृषि उपयोग में लिया है तो संपरिवर्तन हेतु आवेदन प्राप्त करके राजस्व भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 संशोधन 2016 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए विहित विधि के प्रावधानों एवं नियमानुसार कार्यवाही करें। क्योकि प्रकरण में विहित प्रावधान एवं नियमो के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी जिससे राजहित प्रभावित नही हो रहा है। तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राज्य सरकार को रूपान्तरण नियमो के अन्तर्गत आय ही होगी। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 05/01/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली